>

Title: Problems being faced by the employees of District Rural Development Agencies (DRDA) in the country.

श्री राकेश सचान (फतेहपुर): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही अविलंबनीय लोक महत्व के सवाल पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। भारत स रकार द्वारा वर्ष 1971 के सम्पूर्ण भारतवर्ष में केन्द्र द्वारा प्रो-निर्धारित योजनाओं के संचालन के लिए जिला ग्राम विकास अभिकरणों का गठन करते हुए उनको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकृत कराते हुए स्टाफिंग पैटर्न पर निश्चित किया गया था जिसे 1982 में लागू करते हुए सृजित पदों के सापेक्ष सीधी भर्ती से कर्मचारी नियुक्त किए गए। किन्तु 25-30 वर्षों की सेवाओं के पश्चात् भी न तो उन कर्मचारियों को प्रोन्नत किया गया और न ही उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति पैंशन, ग्रेच्युटी, मृतक आश्रित, 60 वर्षों पर सेवा निवृत्ति की सुविधाएं प्रदान की गई। इसके फलस्वरूप देश के 437 अभिकरणों में लगभग 20 हजार कर्मचारी बंधुआ मजदूरों की भांति जिंदगी जीने के लिए विवश हैं। ऊपर से योजना आयोग ने हाल ही में 1.4.2012 से डीआरडीए प्रशासनिक मद को समाप्त करने का निर्णय लिया जिससे कर्मचारियों को आगे वेतन मिलना भी मुश्किल हो जाएगा।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि डीआरडीए को प्रशासनिक मद निश्चित बनाए रखें जिसे योजना आयोग खत्म कर रहा है। उनके कर्मचारियों को भारत सरकार के उपक्रम की भांति कर्मचारियों का दर्जा प्रदान किया जाए क्योंकि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को बार-बार लिखने के बाद भी राज्य सरकारों ने उन्हें अपना कर्मचारी नहीं माना। ...(व्यवधान) इसलिए सरकार उन्हें भारत सरकार के कर्मचारियों की तरह सारी सुविधाएं देने का काम करे।...(व्यवधान) हाल में 19 तारीख को पूरे देश में, आपके यहां भी हड़ताल रही होगी, डीआरडीए में हड़ताल रही। सारे कर्मचारी जंतर-मंतर में आकर धरना, प्रदर्शन करते रहे।...(व्यवधान) यह उनके भविष्य का सवाल है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि भारत सरकार उन्हें गंभीरता से लेते हुए केन्द्रीय कर्मचारी का दर्जा घोषित कराने का काम करे।...(व्यवधान) मंत्री जी बैठे हुए हैं। आप सीट से निर्देश दीजिए।...(व्यवधान)